राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

भाद्र 13, मंगलवार, शाके 1940–सितम्बर 4, 2018
Bhadra 13, Tuesday, Saka 1940–September 4, 2018

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (एस.पी.एफ.सी.) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 29, 2018

एस.ओ.132 :–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि घरेलू उद्योग की प्रोन्नति के लिए और राज्य सरकार की सामाजिक–आर्थिक नीति को अग्रसर करने के लिए, राजस्थान में स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से उपापन में क्रय अधिमानता आवश्यक है, राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ. 1 (8)/एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011, दिनांक 19 नवम्बर, 2015 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–

(i) उद्देशिका में,–

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "इसी प्रकार, राजस्थान में स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से उपापन में क्रय और कीमत अधिमानता आवश्यक है," के स्थान पर अभिव्यक्ति "इसी प्रकार, राजस्थान में स्थित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से उपापन में क्रय अधिमानता आवश्यक है," प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कीमत या क्रय अधिमानता या दोनों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को क्रय अधिमानता" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) खण्ड–1 का विद्यमान उप–खण्ड (छ) हटाया जायेगा;

(iii) खण्ड 4 में,–

(क) खण्ड 4 मे, विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गयी वस्तुओं के लिए, राज्य से बाहर के उद्यमों से प्राप्त बोलियों की तुलना में स्थानीय उद्यमों को, उत्कथित कीमतों के मूल्यांकन द्वारा कीमत अधिमानता निम्नानुसार दी जायेगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गयी वस्तुओं के लिए, स्थानीय उद्यमों को क्रय अधिमानता निम्नानुसार दी जायेगी" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान उप-खण्ड (क) हटाया जायेगा;

(ग) उप-खण्ड (ख), में विद्यमान अभिव्यक्ति "यदि कीमत अधिमानता देने के पश्चात् भी स्थानीय बोलियों की कीमतें प्रतियोगी नहीं पायी जाती हैं और राज्य के बाहर से बोली लगाने वाले उद्यम को निम्नतम विनिर्णित किया जाता है" के स्थान पर अभिव्यक्ति "यदि राज्य के बाहर से बोली लगाने वाले उद्यम को निम्नतम विनिर्णीत किया जाता है" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(घ) उप-खण्ड (ख) की मद (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति, "ऐसे मामले में, उपरोक्त खण्ड (क) में कथित कीमत अधिमानता और लागू नहीं रहेगी और शुद्ध निम्नतम कीमत (एल 1 कीमंत) का मिलान, अपेक्षित होगा।" हटायी जायेगी।

(iv) खण्ड 6 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी अधिकारी या उपापन संस्था द्वारा क्रय अधिमानता या कीमत अधिमानता या दोनों की मंजूरी की शक्तियों का प्रयोग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "किसी अधिकारी या उपापन संस्था द्वारा क्रय अधिमानता की मंजूरी की शक्तियों का प्रयोग" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) खण्ड 10 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इस अधिसूचना के अधीन कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनों को चाहने के क्रम में," के स्थान पर अभिव्यक्ति "इस अधिसूचना के अधीन क्रय अधिमानता को चाहने के क्रम में," प्रतिस्थापित की जायेगी;

(vi) प्ररूप क में,

(क) प्ररूप क के शीर्षक में, विद्यमान अभिव्यक्ति, "माल के उपापन में कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनों के लिए एम.एस.एम.ई. द्वारा आवेदन" के स्थान अभिव्यक्ति, "माल के उपापन में क्रय

अधिमानता के लिए एम.एस.एम.ई. द्वारा आवेदन" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ख) विद्यमान मद 10 के स्थान पर निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जायेगी ;

"10. उत्पाद जिनके लिए क्रय अधिमानता के लिए आवेदन किया गया है:";

(ग) मद 14 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "गत वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में कीमत अधिमानता प्रमाणपत्र के अनुसार उपभुक्त फायदे" के स्थान पर अभिव्यक्ति "गत वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में उपभुक्त फायदे" प्रतिस्थापित की जायेगी ; और

(घ) प्रमाणपत्र में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उद्यम इस अधिसूचना के अधीन कीमत अधिमानता या क्रय अधिमानता या दोनों के लिए पात्र है।" के स्थान पर अभिव्यक्ति, "उद्यम इस अधिसूचना के अधीन क्रय अधिमानता के लिए पात्र है।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[एफ.2(1) एफ.डी./एस.पी.एफ.सी/2017]
राज्यपाल के आदेश से,
मंजू राजपाल,
शासन सचिव।

FINANCE (SPFC) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, August 29, 2018

S.O.132 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 33 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that purchase preference in procurement from micro, small and medium enterprises situated in Rajasthan is necessary for the promotion of domestic industry and for furtherance of the socio-economic policy of the State Government, the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F. 1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 19 November, 2015, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) in preamble,-

(a) for the existing expression "likewise, purchase and price preference in procurement from micro," the expression "likewise, purchase preference in procurement from micro," shall be substituted; and

(b) for the existing expression "enterprises only and, also, to accord price or purchase preference or both to the micro," the expression "enterprises only and, also, to accord purchase preference to the micro," shall be substituted;

(ii) the existing sub-clause (g) of clause 1 shall be deleted;

(iii) In clause 4,-

(a) in clause 4, for the existing expression "For items not included in Schedule, price preference shall be given to local enterprises in comparison to bids received from enterprises outside the State, by evaluating the prices quoted as follows:", the expression "For items not included in Schedule, purchase preference shall be given to local enterprises as follows:" shall be substituted;

(b) the existing sub-clause (a) shall be deleted;

(c) in sub-clause (b), for the existing expression "in case, the prices of the local bids are not found competitive even after grant of price preference, and the bidding enterprise from outside the State is adjudged lowest," the expression "in case, the bidding enterprise from outside the State is adjudged lowest," shall be substituted; and

(d) in item (ii) of sub-clause (b), the existing expression "In such case, price preference stated in clause (a) above shall no longer be applicable and net lowest price (L1 price) would be required to be matched." shall be deleted;

(iv) in clause 6, for the existing expression "grant Purchase Preference or Price preference or both shall be exercised by an officer", the expression "grant Purchase Preference shall be exercised by an officer" shall be substituted;

(v) in clause 10, for the existing expression "seek price preference or purchase preference or both under this

notification,", the expression "seek purchase preference under this notification," shall be substituted;

(vi) in form A,-

(a) in heading of Form A, for the existing expression "Application by MSME for Price Preference or Purchase Preference or both in Procurement of Goods", the expression "Application by MSME for Purchase Preference in Procurement of Goods" shall be substituted;

(b)for the existing item 10, the following item shall be substituted; "10.Products for which purchase preference has been applied for:";

(c) in item 14, for the existing expression "Benefits availed as per price preference certificate in last financial year and current financial year", the expression "Benefits availed in last financial year and current financial year" shall be substituted; and

(d) in Certificate, for the existing expression "The enterprise is eligible for Price Preference or Purchase Preference or both under this notification.", the expression "The enterprise is eligible for purchase Preference under this notification." shall be substituted.

[F. 2(1)/FD/SPFC/2017]
By order of the Governor,
Manju Rajpal,
Secretary to the Government.

वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय और लेखा नियम अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, अगस्त 29, 2018

एस.ओ.133 :–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की, समय–समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)/एफ. डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर. /2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 47 के सामने, स्तंभ संख्यांक 3 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"निम्नलिखित में से किसी से :–

1. राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (रा.रा.स.वि.नि.)।
2. वेपकोस, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भारत सरकार के संरक्षण के अधीन कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम।
3. नेबकॉन, नाबार्ड के पूर्णरूपेण स्वामित्व वाला कोई समनुषंगी।
4. राईटस् लि., भारतीय रेल, भारत सरकार के संरक्षण के अधीन कोई पब्लिक सेक्टर उपक्रम।
5. पावर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पी.एफ.सी.), भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी, पी.एफ.सी.कन्सल्टिंग लिमिटेड (पी. एफ.सी.सी.एल)।
6. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.), एन.टी.पी.सी लिमिटेड, पावर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन (पी.एफ.सी.), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आर.ई.सी.) और पावरग्रिड की संयुक्त उद्यम कम्पनी।"

[एफ.1(8) एफ.डी./जीएफएण्डएआर/2011]
राज्यपाल के आदेश से,
मंजू राजपाल,
शासन सचिव।

FINANCE DEPARTMENT
(General Financial & Accounts Rules Division)
NOTIFICATION
Jaipur, August 28, 2018

S.O.133 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011

dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In table of the said notification, for the existing enteries in column no 3, against serial no 47, the following shall be substituted, namely :-

"From any of the following:-

1. Rajasthan State Road Development Corporation (RSRDC)
2. WAPCOS, a public sector enterprise under the aegis of the Union Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation Government of India.
3. NABCON, a wholly owned subsidiary of NABARD.
4. RITES Ltd., a public sector enterprise under the aegis of Indian Railways, Government of India.
5. PFC Consulting Limited (PFCCL), a Wholly owned subsidiary of Power Finance Corporation Limited (PFC), Government Of India.
6. Energy Efficiency Services Limited (EESL), a joint venture company of NTPC Limited, Power Finance Corporation (PFC), Rural Electrification Corporation Limited (REC) and POWERGRID."

[F.1(8)/FD/GF&AR/2011]
By Order of the Governor,
Manju Rajpal,
Secretary to the Government.

वित्त (एस.पी.एफ.सी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 28, 2018

एस.ओ.134 :–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि घरेलू उद्योग को प्रोन्नत करने के लिए और राज्य सरकार की सामाजिक–आर्थिक नीति को अग्रसर करने के लिए राज्य के युवाओं में उद्यमिता के प्रोत्साहन और लोक उपापन में उनकी भागीदारी में वृद्धि करने

के लिए राजस्थान में अवस्थित और युवाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप्स के लिए विगत अनुभव और वित्तीय पण्यावर्त से सबंधित अपेक्षित तकनीकी अर्हताओं में शिथिलीकरण मंजूर करके क्रय अधिमानता उपलब्ध करवाना आवश्यक है, इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) में यथापरिभाषित उपापन संस्थाएं, अधिसूचना संख्यांक एफ.1 (8) /एफ.डी./जी.एफ एण्ड ए.आर./2011, दिनांक 19.11.2015 द्वारा सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को मंजूर की गयी अधिमानता के अतिरिक्त, राजस्थान में स्थित स्टॉर्टअप्स को माल और सेवाओं के उपापन के लिए निम्नलिखित रीति में अधिमानता देंगी, अर्थात् :–

(i) यदि, जहां उपापन की विषय–वस्तु का अनुमानित मूल्य, जैसा कि अनुसूची में उल्लिखित है, एक अवसर पर एक करोड़ रु. से अधिक नहीं है, वहां उपापन की विषय–वस्तु में किसी स्टार्टअप के अनुभव के वर्षों की संख्या और उपापन की विषय–वस्तु के मूल्य के संबंध में विगत कुछ वर्षों में स्टार्टअप के वित्तीय पण्यावर्त के संबंध में तकनीकी अर्हताएं अनुसूची में उल्लिखित विषय–वस्तु के उपापन के लिए साध्य सीमा तक समुचित रूप से शिथिल की जायेंगी। ऐसे समस्त मामलों में जिनमें स्टार्टअप्स को इस अधिसूचना में यथा उपबंधित शिथिलता नहीं दी गयी है, उनमें उपापन संस्था द्वारा कारण लेखबद्ध किया जाना आज्ञापक होगा।

(ii) जब कभी, अनुसूची में उल्लिखित उपापन की विषय–वस्तु के संबंध में, उपापन, जहां उपापन का अनुमानित मूल्य एक अवसर पर एक करोड़ रु. तक है वहां सूचना प्रौद्योगिकी एवम् संचार विभाग (DoI T & C) का प्रतिनिधि राजस्थान लोक–उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 3 के अधीन गठित उपापन समिति का सदस्य होगा। ऐसा सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी एवम् संचार विभाग में उपनिदेशक की रैंक से नीचे का नहीं होगा; और–

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,–

(क) स्टार्टअप से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा इस रूप में परिभाषित संस्था अभिप्रेत है और, तद्नुसार, जिसने भारत सरकार में सक्षम प्राधिकारी से उसके लिए मान्यता प्राप्त कर ली है और यह भी कि उक्त संस्था राजस्थान में स्थित है, या राजस्थान स्टार्टअप पालिसी, 2015 के अधीन राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति द्वारा स्टार्टअप के रूप में अनुमोदित कोई संस्था अभिप्रेत है ;

(ख) अनुसूची से इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ; और

(ग) युवा से युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी राष्ट्रीय युवा नीति, जो कि संबंधित उपापन संस्था

द्वारा बोली दस्तावेज जारी किये जाने की तारीख को प्रवृत्त है, में यथा परिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है।

अनूसूची

अनुसूची में सम्मिलित मदों/क्रियाकलापों की सूची

1. मोबाइल एप्लीकेशन्स।
2. वेबसाइट्स।
3. वेब सक्षम एप्लीकेशन्स जिनमें, एफ एम एस की आवश्यकता नहीं है।
4. सर्विस डिलीवरी पाइन्ट्स/कियोस्क की स्थापना।
5. विषय–वस्तु प्रबंध।
6. सोशल मीडिया प्रबंध।

[एफ.2(1) एफ.डी./एस.पी.एफ.सी./2017]
राज्यपाल के आदेश से,
मंजू राजपाल,
शासन सचिव।

FINANCE (SPFC) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, August 28, 2018

S.O.134 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 33 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that in order to encourage entrepreneurship among the youth of the State and increase their participation in the public procurement, providing purchase preference by granting relaxation in the required technical qualifications related to past experience and financial turnover for Startups situated in Rajasthan and operated by youth is necessary for the promotion of domestic industry and for furtherance of the socio-economic policy of the State Government, hereby notifies that procuring entities, as defined in sub-section 2 of section 3 of the said Act, shall, in addition to the preference granted to the MSMEs vide notification number F.1(8)/FD/ GF&AR/2011, dated 19.11.2015, accord preference to the Startups in Rajasthan for the procurement of Goods and Services in the following manner, namely:-

(i) In case, where the estimated value of subject matter of procurement, as mentioned in the Schedule, is not more than Rs. One Crore on one occasion, the technical qualifications with respect to number of years of experience of a Startup in the subject matter of procurement and financial turnover of the Startup in past certain years in relation to the value of subject matter of procurement shall be appropriately relaxed to the extent feasible for the procurement of subject matter mentioned in the Schedule. It shall be mandatory for the procuring entity to record reasons, in writing, in all such cases where the relaxation to Startups is not given as provided in this notification;

(ii) Whenever, the procurement is in respect of subject matter of procurement mentioned in Schedule, where the estimated value of procurement is upto Rs. One Crore on one occasion, a representative of the Department of Information, Technology & Communication (DoIT&C) shall be a member of Procurement Committee, constituted under rule 3 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013. Such member shall not be below the rank of Deputy Director in Department of Information, Technology & Communication; and-

For the purpose of this notification,-

(a) Startup means an entity defined as such by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India and, accordingly, has received recognition for the same from the competent authority in Government of India and, also, that the said entity is situated in Rajasthan, OR an entity approved as Startup by the State Level Implementation Committee under the Rajasthan Startup Policy, 2015;

(b) Schedule means the Schedule appended to this notification; and

(c) Youth means the persons as defined in the National Youth Policy, issued by the Ministry of Youth Affairs and

Sports, Government of India, and which is in force on the date of issue of the bidding document by the procuring entity concerned.

Schedule

LIST OF ITEMS/ACTIVITIES INCLUDED IN THE SCHEDULE

1. Mobile Applications
2. Websites
3. Web enabled Applications, not requiring FMS
4. Setting up of Service Delivery Points / Kiosks
5. Content Management
6. Social Media Management

[F. 2(1)/FD/SPFC/2017]
By Order of the Governor,
Manju Rajpal,
Secretary to the Government.

वित्त (एसपीएफसी) विभाग
अधिसूचना
जयपुर, अगस्त 30, 2018

एस.ओ.135 :–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 33 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि घरेलू उद्योग को प्रोन्नत करने के लिए और राज्य सरकार की सामाजिक–आर्थिक नीति को अग्रसर करने के लिए राज्य में युवाओं के मध्य उद्यमिता के प्रोत्साहन और लोक उपापन में उनकी भागीदारी में वृद्धि करने के लिए राजस्थान में स्थित और युवाओं द्वारा संचालित सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) के लिए विगत अनुभव और वित्तीय पण्यावर्त से सबंधित अपेक्षित तकनीकी अर्हताओं में शिथिलीकरण मंजूर करके क्रय अधिमानता उपलब्ध करवाना आवश्यक है, इसके द्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) में यथापरिभाषित उपापन संस्थाएं, अधिसूचना संख्यांक एफ.1 (8) /एफ.डी. /जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011, दिनांक 19.11.2015 द्वारा सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को मंजूर की गयी अधिमानता के अतिरिक्त, राजस्थान में स्थित सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को माल

और सेवाओं के उपापन के लिए निम्नलिखित रीति में अधिमानता देंगी, अर्थात् :–

(प) राजस्थान में स्थित और युवाओं द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को उपापन की विषय–वस्तु में अनुभव के वर्षों की संख्या और उपापन की विषय–वस्तु के मूल्य के संबंध में विगत कुछ वर्षों में वित्तीय पण्यावर्त के संबंध में उपापन संस्था द्वारा तकनीकी अर्हताओं की अपेक्षा में शिथिलीकरण प्रदान कर के माल और सेवाओं के उपापन के लिए साध्य सीमा तक क्रय अधिमानता दी जायेगी।

(पप) ऐसे समस्त मामलों में जिनमें सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम को इस अधिसूचना में यथा उपबंधित अधिमानता नहीं दी गयी है, उनमें उपापन संस्था द्वारा कारण लेखबद्ध किया जाना अज्ञापक होगा।

इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए,–

(क) एम.एस.एम.ई. से अधिसूचना संख्यांक एफ. 1(8)एफ.डी./जी.एफ. एण्ड ए.आर./2011, दिनांक 19.11.2015 में परिभाषित संस्था अभिप्रेत है;

(ख) युवा से, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी राष्ट्रीय युवा नीति, जो कि संबंधित उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेज जारी किये जाने की तारीख को प्रवृत्त है, में यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है।

[संख्या एफ.2(1) एफडी/एसपीएफसी/2017]
राज्यपाल के आदेश से,
मंजू राजपाल,
शासन सचिव।

FINANCE (SPFC) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Jaipur, August 30, 2018

S.O.135 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 33 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that in order to encourage entrepreneurship among the youth of the State and increase their participation in the public procurement, providing purchase preference by granting relaxation in the required technical qualifications related to past experience and financial turnover for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), situated in Rajasthan and operated by the youth, is necessary for

the promotion of domestic industry and for furtherance of the socio-economic policy of the State Government, hereby notifies that procuring entities, as defined in sub-section 2 of section 3 of the said Act, shall, in addition to the preference granted to MSMEs vide notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011, dated 19.11.2015, accord preference to the MSMEs situated in Rajasthan for the procurement of Goods and Services in the following manner, namely:-

(i) The purchase preference shall be given by the procuring entity to MSMEs situated in Rajasthan and operated by the youth by grant of relaxation in the requirement of the technical qualifications with respect to number of years of experience in the subject matter of procurement and financial turnover in past certain years in relation to the value of subject matter of procurement to the extent feasible for the procurement of Goods and Services.

(ii) It shall be mandatory for the procuring entity to record reasons, in writing, in all such cases where the preference to Micro, Small or Medium Enterprise is not given as provided in this notification.

For the purpose of this notification,-

(a) MSME means an entity defined as such in the notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011, dated 19.11.2015;

(b) Youth means the persons as defined in the National Youth Policy, issued by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India and which is in force on the date of issue of the bidding document by the Procuring Entity concerned.

[No. F. 2(1)/FD/SPFC/2017]
By Order of the Governor,
Manju Rajpal,
Secretary to the Government.

वित्त (एस.पी.एफ.सी.) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 16, 2018

एस.ओ.136 :–राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 58 का संशोधन.– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रुप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 58 के उप–नियम (1) के विद्यमान खण्ड (ड॰) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(ड.) लागू कोई अन्य कर, पृथक्तः दर्शित किये जायेंगे ;"।

3. नियम 61 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 61 के उप–नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "संपरीक्षित लेखा विवरण, मू.प.क. (वैट) अनापत्ति प्रमाणपत्र, पेन इत्यादि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संपरीक्षित लेखा विवरण, पैन (PAN), इत्यादि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 66 का हटाया जाना.– उक्त नियमों का विद्यमान नियम 66 हटाया जायेगा।

5. नियम 73 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 73 के विद्यमान उप–नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(2) अतिरिक्त मदों के लिए आदेश, यदि बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात किया जाये, मूल संविदा के मूल्य के 5 प्रतिशत तक, वित्त विभाग द्वारा यथा विहित शक्तियों की अनुसूची के अनुसार उपापन संस्था द्वारा रखे जा सकेंगे। संविदाकार को उपापन संस्था द्वारा संदेय ऐसी अतिरिक्त मदों का उचित बाजार मूल्य, संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, उपापन संस्था द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(3) यदि बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात किया जाये तो अतिरिक्त मात्रा के लिए आदेश, संविदा में दी गयी शर्तों और दरों पर दिये जा सकेंगे और मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियों के आमंत्रण के पश्चात् दिये जा सकेंगे। परिदान या पूर्णता कालावधि भी आनुपातिक रुप से बढ़ाई जा सकेगी। अतिरिक्त मात्राओं के लिए आदेश की सीमा निम्नानुसार होगी:–

(क) वैयक्तिक मदों की मात्रा का 50 प्रतिशत और संकर्म की दशा में मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत ; और

(ख) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों में और संविदा के अधीन परिकल्पित कार्य के विस्तार को बदले बिना, संबंधित प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से कोई उपापन संस्था मूल संकर्म आदेश में यथाउपबंधित वैयक्तिक मदों की मात्रा के 50 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त मात्रा का उपापन निम्नानुसार कर सकेगी:-

(i) कि उपापन संस्था, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, पुनरीक्षित अपेक्षाओं के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी। अतिरिक्त मात्राओं के लिए आदेशों की मात्रा के कारण, जहां कहीं आवश्यक हो, उपापन संस्था सक्षम प्राधिकारियों से पूर्व और पुनरीक्षित तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी अभिप्राप्त करेगी;

(ii) कि इस प्रकार उपाप्त अतिरिक्त मात्राएं निष्पादित किये जाने वाले कार्य का भाग होंगी;

(iii) कि मूल संविदा के मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा किसी भी दशा में नहीं बढ़ाई जायेगी।"

6. नियम 79ढ़ का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 79ढ़ में,-

(i) उप-नियम (3) के अंत में विद्यमान विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यदि संयुक्त उद्यम या संघ का मुख्य सदस्य, संयुक्त उद्यम या संघ से बहिर्गमन का आशय रखता है, तब, प्रस्तावित बहिर्गमन को निम्नलिखित को सुनिश्चित करने के पश्चात् प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(क) ऐसे बहिर्गमन के लिए निबंधनों और शर्तों से संबंधित उपबंध, बोली दस्तावेज में और संयुक्त उद्यम या संघ, जिसका मुख्य सदस्य बहिर्गमन का आशय रखता है, के साथ उपापन इकाई द्वारा की गयी संविदा में स्पष्ट रुप से विनिर्दिष्ट किये गये हैं;

(ख) एक लिखित अनुरोध, संयुक्त उद्यम/संघ के अन्य सदस्यों, उधार देने वाले, मुख्य सदस्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित सक्षम सदस्य इत्यादि से सैद्धान्तिक रुप में अनुमोदन प्रस्तुत किये जाने के साथ लिखित निवेदन किया जायेगा;

(ग) ऐसा बहिर्गमन, परियोजना की पूर्णता की तारीख से कम से कम दो वर्ष के अवसान के पश्चात् ही प्रशासनिक विभाग द्वारा मंजूर किया जायेगा;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे बहिर्गमन से परियोजना का संचालन और रखरखाव प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होगा, प्रशासनिक विभाग द्वारा समस्त आवश्यक उपाय किये जायेंगे;

(ङ) ऐसा कोई भी बहिर्गमन तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा जब तक कि संयुक्त उद्यम/संघ में प्रतिस्थापन के लिए सक्षम प्रतिस्थापन सम्यक् रुप से प्रस्तावित नहीं कर दिया जाये और ऐसे प्रतिस्थापन को प्रशासनिक विभाग द्वारा तत्परतापूर्वक अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है;

(च) मुख्य सदस्य, ऐसे बहिर्गमन के लिए आवेदन की तारीख पर मुख्य सदस्य के विरुद्ध लंबित समस्त सरकारी शोध्यों के संदाय करने की बाध्यता के अधीन रहेगा और, इस प्रकार, संबंधित प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बहिर्गमन की तारीख पर मुख्य सदस्य के विरुद्ध कोई बकाया शोध्य, चाहे कोई भी हो, न हो।"

[संख्या एफ.2(1) एफ.डी./एस.पी.एफ.सी/2017]
राज्यपाल के आदेश से,
मंजू राजपाल,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।